फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 110 प्रभात जयपुर, शनिवार 21 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot



The Sound At Dusk

Then, the lights began to come on in the houses. I counted them. It did not take long

How Many Bananas Are in Your Silk Saree?

When Lord Shiva Became a Wandering Beggar

कांग्रेस काफी समय बाद आल्हादित सी दिख रही है राजस्थान में

पंचायत समिति के घोषित 384 नतीजों में कांग्रेस 289 बोर्ड बनाने की तैयारी में है

- कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश दावा कर रहे हैं कि ये नतीजे इस बात का प्रमाण हैं कि राजस्थान में जनता भजनलाल के प्रशासन में विश्वास खो चुकी है।
- इन नतीजों का यह भी मतलब निकाला जा रहा है कि अब राजस्थान में कांग्रेस में डोटासरा व जूली की स्थिति मजबूत हुई है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। राजस्थान कांग्रेस खुश है।

काफी लंबे समय के बाद पार्टी के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, क्योंकि उसने राज्य में पंचायत राज चुनावों में भाजपा को हरा दिया है।

कुल 419 पंचायत समितियों में से अब तक 384 के नतीजे घोषित हो चुके हैं।

कांग्रेस 289 पंचायत समितियों में बोर्ड बनाने जा रही है, जबकि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा केवल 85 पंचायत समितियों में ही बोर्ड बना पाएगी।

कांग्रेस को 205 पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत और 84 समितियों में बहुमत हासिल हुआ है।

दूसरी ओर, भाजपा को केवल 50 पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत मिला है और 35 में बहुमत हासिल हुआ है।

अब तक 10 पंचायत समितियों में दोनों दल बराबरी पर हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह इन समितियों में भी जीत हासिल कर लेगी।

राज्य में विधानसभा चुनाव होने में अभी पूरे दो साल बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान की जनता का भजनलाल सरकार के शासन से भरोसा उठ गया है।

कांग्रेस दावा कर रही है कि "भजनलाल अपनी पार्टी, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को साथ लेकर चलने में असफल रहे हैं। उनके शासन के तरीके में कई बड़ी कमियां और खामियां हैं।

कांग्रेस भी पूरी तरह एकजुट नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच गंभीर मतभेद और अंदरूनी खींचतान है, लेकिन चुनाव के आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं।

जयराम रमेश के अनुसार, भाजपा-आरएसएस के "नॉन गवर्नेंस" वाले मॉडल से मतदाता बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, और अब वे कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजस्थान में मिली जीत के संदर्भ में ट्वीट किया है कि हर जगह मतदाताओं का भाजपा से भरोसा उठता जा रहा है।

कांग्रेस के भीतर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और विधायक दल के नेता जूली की जोड़ी पहले से अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि राज्य कांग्रेस नेतृत्व के बाकी नेताओं को इन घटनाक्रमों से बड़ा झटका लग सकता है।

हाई कोर्ट ने विवादित उत्तर कुंजी पर जवाब मांगा

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3951 पदों के लिए आयोजित बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2026 की विवादित उत्तर कुंजी को लेकर शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश रोचक भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- कर्मचारी चयन बोर्ड की बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में गलत उत्तर का मामला।

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती के दोनों प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी में कुछ विवादित प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं। इससे अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है और कई अभ्यर्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक हासिल करने से वंचित हो रहे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि विवादित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जनकपुर-अयोध्या ट्रेन से भारत-नेपाल की रेल डिप्लोमैसी मजबूत होगी

राम और सीता के जन्म स्थलों को जोड़ने वाली इस पैसेंजर ट्रेन को मोदी व बालेन्द्र शाह मिलकर फ्लैग ऑफ करेंगे

- चीन, तिब्बत और अरूणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपना रेल नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहा है। ल्हासा-न्यिंगची लाइन 2021 में शुरु हो गई थी तथा शिनजियांग-तिब्बल रेल कॉरीडोर 2030 में पूरा हो जाएगा।
- भारत और बाँग्लादेश के बीच मालगाड़ी सेवाएं तो चालू हैं, पर पहले चलने वाली यात्री सेवाएं 2024 से बंद पड़ी हैं। भूटान और म्यांमार सीमाओं पर भारत के रेल नेटवर्क पर प्रगति धीमी है।

-श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। सीमा पार रेल सेवाओं के विस्तार में हाल ही में आई रुकावटों के बाद, भारत की रेल कूटनीति को सोमवार को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस दिन भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा बालेन्द्र शाह नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्या शहर तक 604 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलने वाली 18 डिब्बों की साप्ताहिक यात्री ट्रेन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। गौरतलब है कि जनकपुर और अयोध्या क्रमशः हिंदू देवी सीता और भगवान राम की जन्मस्थली हैं।

यह कार्यक्रम नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की 22 नवंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली के "मृत मतदाताओं" को वापस जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने नियम बदले

बीएलओ को घर-घर जाकर पुष्टि करनी होगी कि मृत घोषित मतदाता जीवित तो नहीं हैं

- चुनाव आयोग इन मतदाताओं की वोटर आईडी डिलीट कर चुका है। बिना आईडी नम्बर के बीएलओ का काम बहुत पेचीदा हो गया है।
- पहले पता बदलने वाले मतदाताओं को फॉर्म 8 भरना होता था। अब आयोग ने कहा है कि "शिफ्टेड" मतदाता "एन्यूमरेशन फॉर्म" भरें और एनैक्सचर में पुराना व नया पता लिखें। पर वर्तमान नियमों में एनैक्सचर का प्रावधान नहीं है।
- दिल्ली के डिप्टी सीईओ ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर ईसीआईनेट, ईआरओनेट तथा बीएलओ ऐप में आवश्यक परिवर्तन करने की मांग की है, ताकि आयोग के निर्देशों की पालना हो सके।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। क्या कोई मृत व्यक्ति कभी वापस आ सकता है?

दिल्ली में इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) ने दो महीने तक घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के बाद, 2 लाख से अधिक लोगों को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन अब अपने फैसले से पलटते हुए, आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों (ब्लॉक लैवल ऑफिसर/बी.एल.ओ.) को एक बार फिर देश की राजधानी में घर-घर जाकर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया है कि जिन 47 लाख मतदाताओं को उसने एएसडीडी (एबसैंट, शिफ्टेड, डैड एण्ड डुप्लिकेट), यानी मृत, स्थानांतरित, पलायन कर चुके या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता घोषित किया था, क्या ये वास्तव में इन श्रेणियों में आते हैं।

चुनाव आयोग यह तो स्वीकार नहीं कर रहा है कि उससे कोई गलती हुई है, लेकिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पैशनल इन्टैन्सिव रिविज़न/एसआईआर) में आए इस नए बदलाव से काफी अव्यवस्था पैदा हो गई है। आयोग ने उन लोगों के वोटर आईडी हटा दिए थे, जिन्हें उसने एएसडीडी घोषित किया था। इस विशिष्ट पहचान संख्या, यानी ईपीआईसी नंबर के बिना बीएलओ के लिए यह काम और भी मुश्किल हो गया है।

ऐसे में इन मतदाताओं में से किसी को भी दोबारा मतदाता सूची में शामिल करना, किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस लाने जैसा है। उदाहरण के लिए, उन मतदाताओं को लें, जिन्हें "शिफ्टेड", यानी कहीं और चले गए के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्षों से यदि कोई व्यक्ति अपने मतदाता पहचान पत्र पर पता बदलवाना चाहता था, तो उसे फॉर्म 8 भरना पड़ता था। चुनाव आयोग की अपनी नियमावली (मैनुअल) में यही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर ब्याज से टीडीएस नहीं काट सकते'

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि पर मिलने वाले ब्याज की प्रकृति को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अदालत ने कहा कि एमएसीटी की धारा 171 के तहत दिए जाने वाले मुआवजे पर क्लेम याचिका पेश करने की तारीख से अवार्ड जारी होने की अवधि का ब्याज कर योग्य आय नहीं है। अदालत ने कहा कि यह ब्याज राशि भी क्षतिपूर्ति स्वरूप ही है। ऐसे में यह राशि कर योग्य नहीं होने के कारण बीमा कंपनी उस पर टीडीएस कटौती नहीं कर सकती है। सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस भुवन गोयल और जस्टिस समीर जैन की फुल बेंच ने यह आदेश मामले में भेजे गए रेफरेंस को तय करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट की फुल बैंच ने कहा कि ब्याज की राशि क्षतिपूर्ति का अंग है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि भुगतान पर केवल तभी टीडीएस कटौती हो सकती है, जब दावेदार को वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ऐसे ब्याज की राशि पचास हजार रुपए से अधिक हो। अदालत ने कहा कि यदि यह राशि कर योग्य नहीं है तो दावेदार रिफंड का दावा कर सकता है।

याचिका से जुड़े अधिवक्ता राहुल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'योगी आदित्यनाथ की माता की मृत्यु ने उनके परिवार को फिर फोकस में ला दिया

योगी के लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद उनका परिवार सामान्य जीवन जीता रहा

- योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट, वन विभाग में कार्यरत थे तथा रेंजर के पद से रिटायर हुए। उनकी मृत्यु 2020 में कोविड काल में हुई।
- उनके तीन भाई और तीन बहनें राजनीति व सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं। उनके बड़े भाई उत्तराखंड के कॉलेज में काम करते हैं तथा एक छोटा भाई सेना व दूसरा स्कूल में कार्यरत है।
- योगी के सभी परिजनों का सार्वजनिक जीवन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हाई प्रोफाइल जीवन शैली से पूर्णतया अलग होने के कारण कई बार चर्चा में आता रहा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन के बाद उत्तराखंड में उनके परिवार की ओर लोगों का ध्यान गया है। योगी आदित्यनाथ के लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद, उनका परिवार काफी हद तक सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहा है। शुक्रवार, 20 नवंबर को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव स्थित उनके घर पर 91 वर्षीय सावित्री देवी का निधन हो गया। उनके छोटे बेटे महेन्द्र मोहन ने इस खबर की पुष्टि की। खबरों के अनुसार, निधन से पहले उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी।

उनका निधन ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ सप्ताह पहले ही योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच उत्तराखंड के लोगों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। इस घटना ने एक बार फिर इस पहाड़ी राज्य से मुख्यमंत्री के जुड़ाव और उनकी जड़ों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

योगी आदित्यनाथ ने जहां पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक जीवन बनाया, वहीं उनका परिवार उत्तराखंड में ही रहा और काफी हद तक चुनावी राजनीति तथा सरकारी पदों से दूर रहा।

योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में हुआ था। उस समय यह क्षेत्र अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उनका जन्म का नाम अजय सिंह बिष्ट था।

उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कार्यरत थे और फॉरेस्ट रेन्जर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मां सावित्री देवी गृहिणी थीं।

उनका पालन-पोषण सात बच्चों के परिवार में हुआ, जिसमें चार बेटे और तीन बेटियां थीं। उनके भाई-बहनों में बड़े भाई मानवेन्द्र मोहन, छोटे भाई शैलेन्द्र मोहन और महेन्द्र मोहन तथा तीन बहनें शामिल हैं।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वे गोरखपुर चले गए, जहां वे तत्कालीन गोरखनाथ मठ प्रमुख महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बन गये। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और अंततः अपने गुरु के उत्तराधिकारी के रूप में गोरखनाथ मठ के प्रमुख बन गए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने मैडिकल कॉलेजों में भर्ती पर एसएलपी खारिज की

जयपुर, 20 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों के लिए आयोजित भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले में दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वीएम पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश अमित कुमार शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिए।

- राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी होने वाली है।

विशेष अनुमति याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के गत 27 अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 फीसदी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'दो से कम केस लड़ने वाले नहीं कर सकेंगे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान'

हाईकोर्ट ने आदेश दिये हैं कि चुनाव समिति की यह शर्त, कि चुनाव में वही वकील भाग ले सकेंगे जो अदालतों में नियमित रूप से पेश होते हैं, न्यायसंगत व तर्कसंगत है

- इस मामले में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर, की चुनाव समिति को कुछ लोगों ने एक तथाकथित पत्र दिया जिसमें यह वर्णित था कि एसोसिएशन की सामान्य सभा ने 4 नवम्बर को एक फैसला लिया है कि दो वकालतनामे की शर्त गलत है।
- याचिकाकर्ता वीरेन्द्र अग्रवाल की ओर से कहा गया कि "इलेक्शन ट्रिब्यूनल" के आदेश को भ्रामक तरीके से पढ़ते हुए चुनाव समिति ने अपने पुराने नोटिस को वापस ले लिया, जिसमें मतदाताओं को अदालत में पेश होने के साक्ष्य, जैसे 2 वकालतनामे या ऑर्डरशीट, पेश करने की बात कही गई थी।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिये है कि आगामी 'हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर' चुनाव में वही अधिवक्ता मतदान दे पायेंगे, जिन्होंने शपथ पत्र समेत दो वकालतनामे भी प्रस्तुत किये हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मतदाता अधिवक्ता हाईकोर्ट में कार्यरत वकील हैं, ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की है और एसोसिएशन के सदस्य हैं, परंतु वकालत के पेशे से जुड़े नहीं है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश वीरेन्द्र अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये।

अदालत ने चुनाव समिति के गत 17 नवंबर के उस नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों को बिना वकालतनामे या न्यायालय में पेशी के प्रमाण के कोई साक्ष प्रस्तुत करने से छूट दी गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव समिति के गत 3 नवंबर और 4 नवंबर को जारी नोटिस बहाल कर दिए हैं, जिनमें इन्हीं शर्तो पर जोर दिया गया था कि केवल वही अधिवक्ता मतदाता सूची में जुड़ें, जिनके पास अदालत में पेश होने के साक्ष्य हों, जैसे दो वकालतनामे हों या ऐसी ऑर्डर शीट, जो यह स्पष्ट कर सके कि उक्त वकील अदालत में पेश हुए थे।

दरअसल इस मामले में विवाद तब उत्पन्न हुआ, जब राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर, की चुनाव समिति को कुछ लोगों ने एक तथाकथित पत्र दिया, जिसमें यह वर्णित था कि एसोसिएशन की सामान्य सभा ने चार नवम्बर को यह प्रस्ताव पारित किया है कि चुनाव समिति द्वारा 2 वकालतनामे दिये जाने की शर्त गलत है। याचिकाकर्ता वीरेन्द्र अग्रवाल ने अदालत को कहा कि यह तथाकथित प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान ये तथ्य भी सामने आये कि 4 नवंबर को शुरू हुए विवाद को लेकर चुनाव समिति ने मामला 'इलेक्शन ट्रिब्यूनल' के समक्ष भेजा, जिसने 17 नवंबर को जारी आदेश में कहा कि उक्त तथाकथित प्रस्ताव कानून की दृष्टि से अमान्य है, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव बार एसोसिएशन के नियम कायदों के विरूद्ध है और सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुकी है कि बार के चुनाव में केवल वही वकील भाग लें, जो अदालत में नियमित तौर पर कार्यरत हों।

याचिकाकर्ता वीरेन्द्र अग्रवाल की ओर से कहा गया कि 'इलेक्शन ट्रिब्यूनल' के आदेश को भ्रामक तरीके से पढ़ते हुए चुनाव समिति ने अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देश में चीतों की संख्या 62 हुई

भोपाल, 20 नवंबर। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत, अफ्रीकी देशों से लाकर बसाए गए चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी आई है। यहां बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता केओएमजी-3 ने शुक्रवार को चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके बाद देश में चीतों की संख्या बढ़ कर 62 हो गई है।

- कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चार शावकों का जन्म

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर उक्त जानकारी साझा की है। उन्होंने शुक्रवार को मादा चीता का शावकों के साथ एक फोटो और वीडियो भी शेयर किया है, साथ ही इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी एक्स पर मादा चीता के साथ शावकों का वीडियो और फोटो शेयर किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)